राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल – dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट :– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)( )सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 38212 – 244 दिनांक : 23/05/2022

जिला कलक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक,
(इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना),
समस्त राजस्थान।

विषय : राज्य की समस्त नगरीय निकायों में **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना** (IRGY-Urban) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

प्रसंग : विभाग का पूर्व समसंख्यक पत्रांक : 29390–422 दिनांक 06.05.2022 एवं 32911–943 दिनांक 12.05.2022 की निरन्तरता में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में शहरों में आमजन के लिये रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **''इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना''** लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से इसी वित्तीय वर्ष से राज्य के समस्त शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जरूरतमंद परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जावेगा।

बजट घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban)** लागू की जा रही है। योजना की विस्तृत **मार्गदर्शिका (Guidelines)** संलग्न है।

उक्त योजना का जून, 2022 के प्रथम सप्ताह में राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा योजना का शुभारम्भ (Launching) किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त योजना का शुभारम्भ (Launching) होने से पूर्व नगरीय निकायों के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. योजना के शुभारम्भ से पहले 31 मई, 2022 तक समस्त जिला कलेक्टर्स अपने क्षेत्राधिकार की नगरीय निकायों के आयुक्त / अधिशाषी अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करते हुये, योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में व्यापक विचार–विमर्श करते हुये, तैयारियां पूर्ण कर ली जावे।

Scanned with CamScanner

आयोजित करते हुये, योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में व्यापक विचार–विमर्श करते हुये, तैयारियां पूर्ण कर ली जावे।

2. विभाग के समसंख्यक पत्रांक : 32911–943 दिनांक 12.05.2022 के अनुसार उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुये, संविदा के आधार पर कार्मिकों की नियुक्ति/भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर, नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावें। पत्र की प्रति संलग्न है।
3. जिन नगरीय निकायों में कनिष्ठ अभियंताओं के पद रिक्त हैं, उन नगरीय निकायों में संविदा (IRGY-U) आधारित कनिष्ठ अभियंता उपलब्ध होने तक कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पद का अतिरिक्त चार्ज सार्वजनिक निर्माण विभाग, पंचायतीराज विभाग व अन्य विभागों के कनिष्ठ अभियंता (सिविल) को आपके स्तर से दे दिया जावे।
4. विभाग के समसंख्यक पत्रांक : 33817–34036 दिनांक 12.05.2022 द्वारा योजना की क्रियान्विति हेतु चालू वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा नगरीय निकायों को अनंतिम (Tentative) रूप से राशि आवंटित करने का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है।
5. योजना के शुभारम्भ से पूर्व आपके जिले के क्षेत्राधिकार की समस्त नगरीय निकायों के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अनुमत कार्यो का चिन्हिकरण/चयन करते हुये, कार्ययोजना बनाकर जिला स्तरीय समिति से कार्य योजना का अनुमोदन करा लिया जावे।
6. स्वीकृत कार्य योजना अनुसार प्रथमतः आगामी तीन माह में करवाये जाने वाले कार्यो की सम्बन्धित नगरीय निकाय के स्तर से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी करवा ली जावे।
7. नगरीय निकाय क्षेत्र में योजना में पात्र श्रमिकों का आंकलन करवाते हुये रोजगार चाहने वाले परिवारों/व्यक्तियों का चिन्हिकरण (Identification) कर लिया जावें एवं श्रमिकों की संख्या के अनुसार श्रम बजट(Labour Budget) तैयार करने की कार्यवाही की जावें।
8. नगरीय निकायों के स्तर पर योजना के संचालन व क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों में IRGY सेल का गठन करते हुये आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जावे।
9. योजना के शुभारम्भ से पूर्व नगरीय निकायों के स्तर पर विभिन्न संचार माध्यमों से योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार (IEC Activities) करना सुनिश्चित करावें।

अतः योजना के विधिवत शुभारम्भ से पूर्व योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उक्तानुसार कार्यवाही दिनांक 31 मई, 2022 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे।

संलग्न : मार्गदर्शिका व अन्य पत्र।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव

Scanned with CamScanner

क्रमांक : एफ. 56 (क)( )सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 38245-847 दिनांक : 23/05/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री / राज्यमंत्रीगण (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त / आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, विभागाध्यक्ष (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि योजना का विधिवत शुभारम्भ करने हेतु आपके क्षेत्राधिकार की समस्त नगरीय निकायों से समन्वय स्थापित किया जावे एवं योजना का सफल संचालन व क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।
12. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, नगर निगम / परिषद / पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
13. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
14. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
15. वित्तीय सलाहकार / परियोजना निदेशक, निदेशालय।
16. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय को प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीड़िया में प्रकाशन करवाने हेतु पालनार्थ।
17. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु पालनार्थ।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner